



श्रमायुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश शासन,
इन्दौर

न्यूनतम वेतन
एवं
मंहगाई भत्ते की दरें
दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन की दरें श्रम विभाग की वेबसाईट
www.labour.mponline.gov.in पर उपलब्ध है

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948

के अंतर्गत श्रमिकों हेतु

दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील

मंहगाई भत्ते की दरें

01 से 36, 39 से 55 एवं 57 से 66, 68, 70 से 72 तक कुल 67 नियोजन

| | |
|--|------------------|
| 67 नियोजन | पृष्ठ क्र. 03-15 |
| प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हेतु अनुसूची-"क" | पृष्ठ क्रमांक 16 |
| कृषि नियोजन | पृष्ठ क्र. 17-19 |
| बीडी नियोजन | पृष्ठ क्र. 20-28 |
| अगरबत्ती नियोजन | पृष्ठ क्र. 29-35 |
| अन्य | पृष्ठ क्र. 36-38 |

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2015/ **28003-252**

इन्दौर, दिनांक **25/09/2023**


अधिसूचना

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान, सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं श्रीकांत बनोठ, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया, माह जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ:-

| माह / वर्ष | अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) |
|--------------|---|
| जनवरी, 2023 | 382.46 |
| फरवरी, 2023 | 382.18 |
| मार्च, 2023 | 383.90 |
| अप्रैल, 2023 | 386.50 |
| मई, 2023 | 387.94 |
| जून, 2023 | 392.83 |
| औसत सूचकांक | $2315.81 \div 6 = 385.96$ (386) |

तथा इनका औसत 386 घोषित करता हूँ, जो कि अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41(बी)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

म.प्र.राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670-671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक एफ.4(सी)1-2013/अ-16 के अनुसार राज्य के कतिपय नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून, 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है। जो कि दिनांक 10 जून, 2016 से लागू है।


(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10.10.2014 के पृष्ठ क्र. 358 से 380, 384 से 394 एवं 395 से 400 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून, 2014) 2001=100 को आधार मानकर संबंध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 1/11/अन्वे./पांच/2015/ ~~28.003-252~~ दिनांक ~~25-09-2023~~ के अनुसार जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 386 रहा है। गत छः माही का औसत 379 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 379 के उपर (386-379)= 07 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप 67 अनुसूचित नियोजनों में अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये (25X07)= 175/- की वृद्धि हुई है। तदनुसार अर्द्ध कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (386-241) = 145 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये (25X145)= 3625/-प्रतिमाह या (3625÷26) रुपये 139.42 प्रतिदिन एवं अकुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (386-253)= 133 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि (25X133)= 3325/-प्रतिमाह या (3325÷26) रुपये 127.88 प्रतिदिन रुपये दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है। (अनुसूची- अ, ब, स के लिए)।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं एतद्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूची-"क" के अनुसार निर्धारित करता हूँ, जो दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है।


अनुसूची - अ

67 अनुसूचित नियोजनों में मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रूपों में)

| न्यूनतम वेतन | | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता | | कुल वेतन | | रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर | श्रमिकों का वर्ग | न्यूनतम वेतन | | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता | | कुल वेतन | | रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर |
|------------------------------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|
| प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिदिन | | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिदिन |
| दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक | | | | | | | | दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 6500 | 250.00 | 3150 | 121.15 | 9650 | 371.15 | 371 | अकुशल | 6500 | 250.00 | 3325 | 127.88 | 9825 | 377.88 | 378 |
| 7057 | 271.42 | 3450 | 132.69 | 10507 | 404.12 | 404 | अर्द्धकुशल | 7057 | 271.42 | 3625 | 139.42 | 10682 | 410.85 | 411 |
| 8435 | 324.42 | 3450 | 132.69 | 11885 | 457.12 | 457 | कुशल | 8435 | 324.42 | 3625 | 139.42 | 12060 | 463.85 | 464 |
| 9735 | 374.42 | 3450 | 132.69 | 13185 | 507.12 | 507 | उच्चकुशल | 9735 | 374.42 | 3625 | 139.42 | 13360 | 513.85 | 514 |

स्पष्टीकरण -

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। विशेष टीप : उपर्युक्त अनुसूची-क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं, इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- (2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर व्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के उपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- (3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए) टीप - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 67 अधिसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-अ तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-ब में देखें।



(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इंदौर

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें वेतन निर्धारित है

| क्र. | अनुसूचित नियोजन | भाग - एक |
|------|---|----------|
| 1 | किसी कपास जिर्नींग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन | |
| 2 | किसी वन लगाने तथा वन उपज में नियोजन | |
| 3 | किसी मार्गों के निर्माण या सम्हाल या भवन निर्माण कार्य में नियोजन | |
| 4 | किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन | |
| 5 | किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन | |
| 6 | किसी सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन | |
| 7 | किसी केमिकल तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन | |
| 8 | किसी आरा मिल में नियोजन | |
| 9 | किसी तेल मिल में नियोजन | |
| 10 | किसी चावल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजन | |
| 11 | किसी मुरा पोहा निर्माणी में नियोजन | |
| 12 | किसी खाद्य पदार्थ में जिसमें केक, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईसकैंडी सम्मिलित है, के निर्माण में नियोजन | |
| 13 | किसी पत्थर तोड़ने या पत्थर पिसने के कार्य में नियोजन | |
| 14 | किसी दूकान, वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टारेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन | |
| 15 | किसी मुद्रणालय में नियोजन | |
| 16 | किसी सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजन | |
| 17 | किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन | |
| 18 | किसी फ्यूएल कोक में नियोजन | |
| 19 | किसी चूना भट्टे में नियोजन | |
| 20 | किसी ईट भट्टे में नियोजन | |
| 21 | किसी पावरलूम/जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है, में नियोजन | |
| 22 | किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन | |
| 23 | किसी कोसा उद्योग में नियोजन | |
| 24 | किसी खाण्डसारी उत्पादन में नियोजन | |
| 25 | किसी पाटरीज जिसमें रिफ्रेक्टरी सामान, फायरब्रिक्स, सेनिटरी वेअर, इन्सुलेटर्स, टाईल्स, (सीमेंट से निर्मित टाईल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सीरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन | |
| 26 | किसी कम्बल निर्माण कार्य में नियोजन | |
| 27 | किसी स्लेट, पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन | |
| 28 | किसी कत्था उद्योग में नियोजन | |
| 29 | किसी रामरज गेरू के निर्माण में नियोजन | |
| 30 | किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन | |
| 31 | किसी बोनमिल में नियोजन | |
| 32 | किसी टाईल्स, जिसमें मंगलोर टाईल्स, अलाहाबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाईल्स सम्मिलित है, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन | |
| 33 | किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा दो(क) में परिभाषित की गई है, चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत नहीं आती है, में नियोजन | |
| 34 | किसी प्रायवेट अस्पताल जिसमें परामर्श केन्द्र तथा विकृति विज्ञान (पेथालॉजिकल) प्रयोगशाला सम्मिलित है, में नियोजन | |

| | |
|----------|---|
| 35 | किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्था, जिनमें कोचिंग केन्द्र भी सम्मिलित है, में नियोजन |
| 36 | किसी तैयार किये गये (रेडिमेड) वस्त्र विनिर्माणशाला में नियोजन |
| 39 | किसी खदान जैसे कंकड़, मुर्रम, लेट्राईट, बोल्टर, ग्रावेल शिंगडा, साधारण रेत, बिल्डिंग स्टोन, रोड मेटल, अर्थ फुलर्स, अर्थ और लाईम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त है, में नियोजन |
| 40 | किसी ऑटोमोबाईल्स कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरेजेस में नियोजन |
| 41 | किसी बेकरी में नियोजन |
| 42 | किसी कोल्ड स्टोरेज (शीतागार) में नियोजन |
| 43 | किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन |
| 44 | किसी होटल रेस्टोरेंट तथा भोजनालय में नियोजन |
| 45 | किसी सिनेमागृहों या थियेटरों में नियोजन |
| 46 | किसी क्लब में नियोजन |
| 47 | किसी आसवानी या किसी अल्कोहलयुक्त |
| 48 | किसी अधिवक्ता या अटार्नी के कार्यालय में नियोजन |
| 49 | किसी हेअर कटिंग सेलून या ब्यूटी पार्लर में नियोजन |
| 50 | किसी ड्रवरक या पेस्ट्रीसाईड (कीटनाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन |
| 51 | किसी इल्लिंग प्रचालन या ट्यूबवेल के अनुरक्षण में नियोजन |
| 52 | किसी इलेक्ट्रॉनिक्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन |
| 53 | किसी पेट्रोल या डीजल पम्पों में नियोजन |
| 54 | मिट्टी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन |
| 55 | किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन |
| 57 | किसी ऑटो रिक्शा और टेक्सी चलाने के कार्य में नियोजन |
| 58 | किसी विपणन सोसायटियों, उपभोक्ता को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी और सहकारी बैंक (को-ऑपरेटिव बैंक में नियोजन) |
| 59 | किसी होजयरी में नियोजन |
| 60 | किसी साबुन निर्माण (जिसमें डिटरजेंट भी शामिल है) में नियोजन |
| 61 | किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन |
| 62 | किसी खिलाणा निर्माण, जिसमें कपड़े से निर्मित खिलाणे भी सम्मिलित है, में नियोजन |
| 63 | किसी सुरक्षा कार्य तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन |
| 64 | किसी कुरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन |
| 65 | किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन |
| 66 | किसी अचार, बडी, पापड तथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन |
| 68 | किसी दवाइयों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्यों में नियोजन |
| 70 | किसी सफाई कार्य में नियोजन |
| 71 | किसी पुरातात्विक कार्य में नियोजन |
| 72 | किसी सूचना प्रौद्योगिकी कार्य में नियोजन |
| भाग - दो | |
| 1 | कृषि में नियोजन |


(श्रीकांत बनोट)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इंदौर


स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह केलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित केलेण्डर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी संदर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी, जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।
3. कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारियों की परिभाषा -
 - (क) "कुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिये।
 - (ख) "अर्द्धकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो, जिसमें कि उसमें उतनी निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो, किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हो, इस प्रकार उसका कार्य बंध-बंधायें रोजमर्रा के कार्य के करने तक ही सीमित है।
 - (ग) "अकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो ऐसे सरल कार्य करना है, जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल तथा सेवाओं से परिचित होना चाहिए।
 - (घ) "उच्च कुशल कर्मचारी" वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमाधारी हो, उसे व्यवसाय, तकनीक शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

अति कुशल कार्य से अभिप्रेत ऐसा कार्य है, जिसे करने के लिए सघन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या कतिपय उचित अवधि के व्यावहारिक कार्य अनुभव से अर्जित संपूर्णता और पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के बावद किये जाने वाले निर्णयों या विनिश्चयों के लिए पूरा जिम्मेदार है।

उच्च कुशल या अतिकुशल कर्मचारी वह है, जिसने किसी स्तरीय तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् उचित अवधि का व्यवहारिक कार्य अनुभव प्राप्त किया हो। जिसके आधार पर उसे सौंपे गये कार्य को दक्षतापूर्वक एवं काफी हद तक स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए संपादित कर सकता हो तथा कार्य संपादन में तात्कालिक रूप से आवश्यक सामान्य निर्णय ले सकता हो। ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।

4. इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी. जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन की धारा 12(1-ए)।
5. किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिए पात्र होंगे।
6. न्यूनतम वेतन की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (क्रमांक 11 सन 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किए अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
7. जहां कर्मचारी खण्ड दर पर नियोजित हो, और इस अधिसूचना में उसके लिए खण्ड दर इस प्रकार निर्मित की जाए, जो आठ घण्टे दैनिक, छः दिन कार्य करते हैं, एवं एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो।
8. यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है, तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होगी।
9. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की सूची संलग्न है।


(श्रीकांत बनोठ)

श्रम आयुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

अकुशल, अर्द्ध कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की उदाहरणार्थ सूची :-

अकुशल -

मजदूर (पुरुष एवं महिला), भिश्ती, स्वीपर, क्लीनर/हेल्पर, अप्रशिक्षित माली, चपरासी/प्यून/भृत्य, चौकीदार, आईल डालनेवाला, वाटरमेन, खल्लासी, व्हीकल अटेण्डेंट, पहरेदार, कुली, डाक रनर, वॉचमेन, बॉटल क्लीनर, वेटर, सर्विस-मेन, गेटकीपर, ट्रॉली बॉय, पोस्टरमेन, वेन्डर, प्रेसमेन, छेडेवाला, सिलाई ओपनिंग, डंपिंग कार्य करने वाला, चरवाहा, कांजी हाउस मेन, लायसेंस वेडर, बालवाडी आया, ग्राम लक्ष्मी, जमादार, मजदूर प्याउ पर पानी पिलाने वाला, रोलकटर, जिन मुकादम, जिन मुकादमी, कपास कैरियर (डालेवाला), गली बेग फिलर, लिटकेरियर, कॉटनशीट्स कैरियर, कपास पिकर, जिन फीडर, झाड़ूवाला, बोडेवाली, वाशर, वाहन की सफाई करने वाला, सफाई कर्मचारी, कोसा फलों की गिनती करने वाला, कोसा फलों को छांटने वाला, कोसा फलों को भाप देने वाला, कोसा फलों को सुखाने वाला, कोसा फलों की नस्सी काटने वाला, कोसा फलों को बोरी में भरने वाला, बोरी की सिलाई करने वाला, गन्ना डालने वाला, खोई सुखाने के काम में लगे श्रमिक, रसोइये के सहायक, हवलदार, काडिंग लेफा पैकर, बोरी भराई, छनाई, ढुलाई, वेगन लदाई या खाली कराई के काम में लगे श्रमिक, आया, वार्डबॉय, सेक्युरिटी गार्ड/सुरक्षाकर्मी, अटेन्डर, अटेन्डेंट, वार्ड सप्लायर, पेंटर, सजावट करने वाला (महिला एवं पुरुष), फायरमेन, श्रमिक (किलन्स), सेटर्स (किलन्स), चादर में गोटा लगाने वाला, हम्माल, रेजा, हड़डी ढोने तथा साफ करने वाला, मिट्टी ढोने एवं भरने वाला, प्रेस का काम करने वाला, लॉण्डीमेन, वॉशरमेन, लोडिंग-अनलोडिंग, माला गूंथना, पापड बेलने का कार्य, बेलबॉय, वेटर, रूम अटेन्डेंट, धागा कटिंग, चेकिंग, बाटल एवं डिब्बे की सफाई धुलाई वाला, लिफटर, सफाई कामगार तथा अन्य अकुशल श्रमिक आदि।

अर्द्ध कुशल -

टार स्प्रेअर, टार हेण्डलर, कारपेट ड्रेसर, व्हाईट वाशिंग/सफेदी वाला, टाईल टर्नर, प्रेशर, टाईपिस्ट, क्लर्क, मोहररि, सहायक मिस्त्री, लाईनमेन, सहायक बिजली मिस्त्री, सहायक आपरेटर-वाटर वर्क्स, कोबलर, हाफ प्रेसमेन, बिल मेन, सहायक मैकेनिक, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक ड्रिलर, सहायक ग्राइन्डर, सहायक कारपेन्टर, सहायक पेन्टर, सहायक टिकर, सहायक ब्लेकस्मिथ, सहायक मोल्डर, सहायक वेल्डर, सहायक वल्कनाईजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक शेपरमेन, सहायक पैटर्न मेकर, सहायक ग्रीसर, सहायक आईलर, सहायक टायर फिटर, चालक (हल्के वाहन), परिचालक, जांच करने वाला निरीक्षक, वालमेन, फायरमेन, लिपिक, पम्प अटेन्डेंट, व्हीलबरो कैरियर, क्वेरीमेन, व्हायटनिंग, क्लीनिंग, प्रेसरी ड्रायवर, टेबलेट मशीन आपरेटर, बोटल फिलर, केप्सूल फीलर, पैकिंग, लेबलिंग के कार्य में लगे श्रमिक, मुकादम, आईलमेन, मेट, हेड मजदूर, वायरमेन, एक्सपेलर मेन, मशीन अटेन्डेंट, बिल कलेक्टर, बिल क्लर्क, रिवाइन्डर, बुकिंग सहायक, सहायक रसोइया, पेटीमेन, सहायक सेल्समेन, मसालची, सहायक मेसन, गारेवाला, मिट्टी गूंथने वाला या मिट्टी का घोल बनाने वाला तथा निकालने वाला, भट्टे या चिमनी पर ईट जमाने वाला, मशीन फोल्डर, स्टीपर फोल्डर, हेडफोल्डर, काटाफोल्डर, गांठवाला, सहायक जाँवर, सहायक सचिव, जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत, साईजर, मशीन पर कोसा फल से धागा निकालना तथा धागे को मशीन से ट्विस्ट करने के कार्य में लगे श्रमिक, सहायक सुपरवाईजर, फोरमेन के सहायक, शक्कर बनाने वाला कारीगर, फिनिशिंग कार्य में सहायक, कताई कर्मचारी, इन कताई कार्य के कतिने, कटर होजियरी, चीफर, सहायक पैन आपरेटर, सहायक सार्टर, मुंशी, फार्मैसी असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ई.सी.जी.असिस्टेंट, असिस्टेंट कंपाउन्डर, असिस्टेंट नर्स, लिफटमेन, सहायक सिक्युरिटी सुपरवाईजर, कॉपिस्ट, असिस्टेंट हेमरमेन, सहायक मशीन ऑपरेटर, मशीन अटेन्डेंट, पम्प खलासी, डम्पिंगवाला, सिलाईवाला, हेल्पर, किलन्स शॉप श्रमिक, पंच ऑपरेटर एवं मैक्समूलर, किलन्स श्रमिक, ब्लेजर पैन

मिल, फ्रिक्शन, किलन्स अनलोडर्स, होजियरी मशीन हेल्पर, सहायक बेन्डसा ऑपरेटर, चिपर, मेकेनिक कम हेल्पर, बेन्डसा मेकेनिक कम हेल्पर, सहायक शाल्टर, सहायक मशीनमेन, बिक्री सहायक, सूत स्टॉक इंचार्ज, मशीन आपरेटर, सहायक मिक्सरमेन, सहायक टेक्निशियन, डार्करूम सहायक, सहायक जिम ट्रेनर, सहायक गेम्स ट्रेनर, सहायक कोच, सहायक माली, सहायक कुक, बुकिंग क्लर्क, थ्रेसर, आया, पेकिंग वाले, लेअर मेन, शर्ट के पल्ले बिछाने वाला, लूप्स टकिंग, सहायक आभूषण कारीगर, सहायक पॉलिश वाला, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सहायक केमिस्ट, सहायक प्लांट ऑपरेटर, सहायक गाईड, केअर टेकर, माडयूलर सह आर्टिस्ट, वर्क सहायक, सहायक सर्वेयर, जेनीटर, वेक्यूम क्लीनर तथा अन्य अर्द्धकुशल कर्मचारी आदि।

कुशल -

गोताखोर, शोवेल एण्ड क्रेन लाईन मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, केमिस्ट, ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर, मेसन, प्लम्बर, पॉलिश पेंटर, वायरमेन, इलेक्ट्रिशियन (आई.टी.आई. पास या मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल से लायसेंसधारी), केबिनेट मेकर, चार्जमेन, एक्सपेलेर मास्टर, एकाउन्टेन्ट, केशियर, गोडाउनकीपर, फीटर, बॉयलर अटेंडेंट, टर्नर, मोल्डर, जे.सी.बी. ऑपरेटर, इंजिन ड्रायवर, ट्रेक्टर ड्रायवर, ट्रक ड्रायवर, डम्पर ड्रायवर, रोडरोलर ड्रायवर, चालक(भारी वाहन), ऑटो चालक, टेक्सी चालक, ड्रिलर, ग्राइन्डर, मैकेनिक, वेल्डर, टाईमकीपर, प्रेशर मेन, राईस मिस्त्री, सुपरवाइजर, खानसामा, कुक, तंदूरची, टी-मास्टर, आर्डर मास्टर, कारीगर, मिठाई बनाने वाला कर्मचारी, पोहा बनाने वाला, कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, हेडक्लर्क, सचिव, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, पर्यवेक्षक, आयुर्वेदिक वैद्य, शिक्षक बालवाडी या अशासकीय, ऑपरेटर वाटर वर्क्स, उपयंत्री बिजली, वाचनालय संयोजक, सिनियर गाईड, फायरमेन, फिल्टर इंचार्ज ऑपरेटर, मुनीम, वुड पॉलिशर, बोरर, टिनस्मिथ, मुख्य लिपिक, स्टोरकीपर, ब्लेकस्मिथ, शेपर, वल्कनाईजर, टिकर, फ्रेममेकर, अपहोलस्टर, कारपेंटर, टेलिफोन ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, पैटर्नमेकर, हैमरमेन, ग्रासर, प्रयोगशाला तकनिशियन/लेबोरेटरी टेक्निशियन, शॉवल, बेलसिंकर, प्रयोगशाला सहायक, वैथमिक्सर, प्लाण्ट अटेंडेंट, मोटरमेन, भट्टी वाला, पेंटर, फोटोकॉपी ऑपरेटर, लोडर्स, अनलोडर्स, लाईन पेकर्स, बिजली मिस्त्री, सिरामिस्ट, ट्रूल्स इंचार्ज, लेथ मशिनिस्ट, कताई इंचार्ज, कम्प्रेसर ऑपरेटर, लॉण्डी अटेंडर, कम्प्यूटर टायपिस्ट, सिक्स्युरिटी सुपरवाइजर, सीनियर कम्पाउण्डर, सीनियर नर्स, रेकार्डकीपर, ओ.टी.मैकेनिक, व्यवस्थापक, छात्रावास प्रभारी(वार्डन), दर्जी, रोलर मिस्त्री, तकनीकी कार्य करने वाला व्यक्ति, वाईपर मास्टर, सूत वितरित करने वाला व्यक्ति, बोनक्रशर, चरखा चालक, मास्टर (कारीगर), जेकार्ड बुनकर, बुनकर, फ्रेमलूम मास्टर, थ्रेसरमेन, पेंटर, वरिष्ठ लेखापाल, स्टोरकीपर, मशीन ऑपरेटर, वुड पॉलिशर, ड्रायक्लीन डोजर, स्क्रैपर, डीजल पम्प आपरेटर, सीनियर मेकेनिक, केमिस्ट/लेबोरेटरी के सहायक, टेक्नीशियन के सहायक, लायब्रेरियन (ग्रंथपाल), पाईपमेलेर ऑपरेटर, पॉलिशर, ट्रूल्स इंचार्ज (मेट, फिलिन), मेट, आर्ट सुपरवायजर, वेड पेन ऑपरेटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, वैंडर्स, पेटस मेकेनिक कम आपरेटर, सवैतनिक सचिव, सेल्समेन, आर्म्ड सिक्स्युरिटी गाईड, बाउन्सर, क्लब मास्टर, जिम ट्रेनर, गेम्स ट्रेनर, कोच, डायटिशियन, मसाजर, केप्टन, बारमेन, स्टयूवर्ड, बेकरी कारीगर, ओवर/भट्टी कारीगर, मशीन से मिट्टी खोदने वाले, आभूषण कारीगर, पॉलिश करने वाला, धातु गलाई-पीटना, तार खिचना, आभूषण जडाई करने वाला, सोप मेकर, प्लाण्ट आपरेटर, टॉय मेकर, स्टिचर, रिसेप्शनिस्ट, माली, डाटा एनलाईजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, मसाला मिश्रण करने वाला, आटा गूंथने वाला, चेकर, प्रोजेक्ट ऑपरेटर, प्रोजेक्शनिस्ट, रिवाइन्डर, हेडकुक, सर्वेयर, गाईड, सुपरवाइजर, सार्टर, वाइण्डर, मेकेनाइज्ड हाउस कीपींग, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव तथा अन्य कुशल कर्मचारी

उच्च कुशल -

मेडिकल एवं इंजीनियर स्नातक, एम.टेक/एम.एस.सी. डिग्री प्राप्त हाईड्रो इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर ऑपरेटर, जियोलॉजिस्ट, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद, साफ्टवेयर इंजीनियर, सिनियर साफ्टवेयर इंजीनियर, कन्सल्टेन्ट, सिनियर कन्सल्टेंट, टीम मेम्बर, टीम लीडर, साफ्टवेयर डेवलपर, मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव, सेल्स ऑफीसर, सेल्स प्रमोशन ऑफीसर, एरिया मैनेजर, टैरिटरी मैनेजर, सेल्स एक्जीक्यूटिव, साईन्टिफिक ऑफीसर एवं अन्य उच्च कुशल कर्मचारी आदि।

(ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।)

किसी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) में नियोजित श्रमिकों के वर्गीकरण की सूची -

उच्च कुशल -

कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद।

लिपिकीय श्रेणी "एक" जैसे -

एकाउन्टेंट, केशियर आदि ।

लिपिकीय श्रेणी "दो" जैसे -

बिल मेन, टायपिस्ट, क्लर्क आदि ।

कुशल श्रेणी "एक" जैसे -

फोटोलिथोग्राफर, लिथोआर्टिस्ट, नेगेटिव स्ट्रीचर, लिथोऑफसेट, प्लेटमेकर, लिथोप्रेसमेन, लिथोऑफसेट प्लेटमेकर, लिथोऑफसेट कॉपी पेस्टर, लिथोऑफसेट प्रिन्टर तथा लेथब्लेड प्रिन्टर, लिथोऑफसेट ट्रांसफर प्रिन्टर आदि ।

कुशल श्रेणी "दो" जैसे -

केमरा ऑपरेटर, कमर्शियल आर्टिस्ट, ड्राफ्टमैन, हेड कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, ऑफटिनएचर, ड्रायकलरेचर, लाईनो ऑपरेटर, लाईनो मेकेनिक, मेकेनिक मोनोटाईप, की-बोर्ड ऑपरेटर, मोनोटाईप मेकेनिक, रोटरी प्रेसमेन, सेक्शन होल्डर, सिनियर रीडर आदि।

कुशल श्रेणी "तीन" जैसे -

कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, ट्रांसफर प्रिन्टर, सिलेण्डर प्रेसमेन, गिल्डर कारपेंटर, ट्रेडल प्रेसमेनएचर, गिलेटिन ऑपरेटर, रिवाइन्डर स्ट्रीचर मशीनमेन, कटर, बाईन्डर, सिविंग मशीनमेन, रूलिंग मशीन मेन, वायर स्ट्रीचर आदि।

अर्द्ध कुशल श्रेणी "एक" जैसे -


लिथोऑफसेट, फिटरमेन, असिस्टेंट प्रेसमेन, वार्निशमेन, वेक्सीनर, वॉक्सीन मशीनमेन, असिस्टेंट प्लेटमेकर, असिस्टेंट ट्रांसफर प्रिन्टर, असिस्टेंट लिथोआर्टिस्ट, टचरप्लेट, ग्रेनर स्टोन पॉलिशर, असिस्टेंट कॉपी पेस्टर, असिस्टेंट कटर, असिस्टेंट रोटा प्रिंटिंग आदि।

अर्द्ध कुशल श्रेणी "दो" जैसे -

स्ट्रेंडिंग फार्मकीपर, ट्रेसर, फोल्डिंग मशीनमेन, जूनियर रीडर, बाक्स पंचर, हेण्डबॉक्स या इन्वहलप मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, असिस्टेंट केमरा ऑपरेटर, असिस्टेंट एचर, लेटर प्रेस फिटर, काउण्टर चेकर, नम्बर या पेजिंगमेन, चेकर पुफ कलर या गेली प्रेसमेन, टाईपप्रेसर, रोलर मेकर या कास्टर, इंक ग्राइन्डर, परफोरेटर, लेंबर पंचर, रूलिंग फिडर, विमिंगमेन, ड्रायवर, डार्करूप असिस्टेंट, फाउण्ड्री, असिस्टेंट ग्राइंडिंग ऑपरेटर, जूनियर कम्पोजिटर, जूनियर बाईन्डर, जूनियर मशीन मेन, लाईनोबारमेन, रीटेल सप्लायर फीडर स्टीरियो, टाईपर, टाईप स्टोर कीपर आदि।

अकुशल श्रेणी जैसे -

रोटरी बिलर, हेण्डफोल्डर, बालर, हेल्पर बाइंडिंग बायलर क्लीनर, मजदूर आक्जिलरी, गेलीपूफ प्रेसमेन, बायलर अटेंडेन्ट, इश्यूचेकर, इंकर, मेटर कास्टर, पेपर सप्लायर, कास्टिंग बाय, रोलर कास्टर, चौकीदार, प्यून, माती, लिथो साधारण ऑफसेट तथा रोटा प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाला कर्मचारी आदि।


(श्रीकान्त बनोठ)

श्रम आयुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

अनुसूची - ब


किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रूप्यों में)

| न्यूनतम वेतन | | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता | | कुल वेतन | | रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर | श्रमिकों का वर्ग | न्यूनतम वेतन | | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता | | कुल वेतन | | रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर |
|------------------------------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|
| प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिदिन | | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिदिन |
| दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक | | | | | | | दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 6500 | 250.00 | 3150 | 121.15 | 9650 | 371.15 | 371 | मजदूर | 6500 | 250.00 | 3325 | 127.88 | 9825 | 377.88 | 378 |
| 6705 | 257.85 | 3450 | 132.69 | 10155 | 390.58 | 391 | पेकर, पट्टी पेकर, सीपर | 6705 | 257.85 | 3625 | 139.42 | 10330 | 397.31 | 397 |
| 8435 | 324.42 | 3450 | 132.69 | 11885 | 457.12 | 457 | मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि | 8435 | 324.42 | 3625 | 139.42 | 12060 | 463.85 | 464 |
| 9522 | 366.23 | 3450 | 132.69 | 12972 | 498.92 | 499 | शेल्स, मिस्त्री पाईन्टर्स | 9522 | 366.23 | 3625 | 139.42 | 13147 | 505.65 | 506 |
| 9735 | 374.42 | 3450 | 132.69 | 13185 | 507.12 | 507 | उच्च कुशल | 9735 | 374.42 | 3625 | 139.42 | 13360 | 513.85 | 514 |
| 10155 | 390.57 | 3450 | 132.69 | 13605 | 523.27 | 523 | कटर्स | 10155 | 390.57 | 3625 | 139.42 | 13780 | 530.00 | 530 |

स्पष्टीकरण :-

- 1-मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउंडअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार. दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- 2-अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के उपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- 3-इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))


(श्रीकांत बनोट)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इंदौर


अनुसूची - स
किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रुपयों में)

| न्यूनतम वेतन | | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता | | कुल वेतन | | राउंडअप कर दैनिक दर | कर्मचारियों का वर्ग | न्यूनतम वेतन | | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता | | कुल वेतन | | राउंडअप कर दैनिक दर |
|------------------------------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|---------------------|------------------------------------|--------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|---------------------|
| प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिदिन | | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिदिन |
| दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक | | | | | | | दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | रुपये | लिपिकीय वर्ग | | | | | | | रुपये |
| 6500 | 250.00 | 3150 | 121.15 | 9650 | 371.15 | 371 | अकुशल | 6500 | 250.00 | 3325 | 127.88 | 9825 | 377.88 | 378 |
| 8435 | 324.42 | 3450 | 132.69 | 11885 | 457.12 | 457 | श्रेणी एक | 8435 | 324.42 | 3625 | 139.42 | 12060 | 463.85 | 464 |
| 7057 | 271.42 | 3450 | 132.69 | 10507 | 404.12 | 404 | श्रेणी दो | 7057 | 271.42 | 3625 | 139.42 | 10682 | 410.85 | 411 |
| 9735 | 374.42 | 3450 | 132.69 | 13185 | 507.12 | 507 | उच्च कुशल | 9735 | 374.42 | 3625 | 139.42 | 13360 | 513.85 | 514 |
| | | | | | | | कुशल श्रेणी | | | | | | | |
| 9685 | 372.50 | 3450 | 132.69 | 13135 | 505.19 | 505 | श्रेणी एक | 9685 | 372.50 | 3625 | 139.42 | 13310 | 511.92 | 512 |
| 9378 | 360.69 | 3450 | 132.69 | 12828 | 493.38 | 493 | श्रेणी दो | 9378 | 360.69 | 3625 | 139.42 | 13003 | 500.12 | 500 |
| 8435 | 324.42 | 3450 | 132.69 | 11885 | 457.12 | 457 | श्रेणी तीन | 8435 | 324.42 | 3625 | 139.42 | 12060 | 463.85 | 464 |
| | | | | | | | अर्द्ध कुशल श्रेणी | | | | | | | |
| 8435 | 324.42 | 3450 | 132.69 | 11885 | 457.12 | 457 | श्रेणी एक | 8435 | 324.42 | 3625 | 139.42 | 12060 | 463.85 | 464 |
| 7057 | 271.42 | 3450 | 132.69 | 10507 | 404.12 | 404 | श्रेणी दो | 7057 | 271.42 | 3625 | 139.42 | 10682 | 410.85 | 411 |

स्पष्टीकरण -

- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणाकों को राउण्डअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे आयात उससे अधिक पैसे हो तो उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर व्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2014 के आधार जाकों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 75 रुपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल पभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))


(श्रीकांत बनावैठ)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इंदौर


अनुसूची - क

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रूपों में)

| न्यूनतम वेतन | | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता | | कुल वेतन | | रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर | श्रमिकों का वर्ग | न्यूनतम वेतन | | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता | | कुल वेतन | | रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर |
|------------------------------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|
| प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिदिन | | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिदिन |
| दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक | | | | | | | | दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 6500 | 216.66 | 3150 | 105.00 | 9650 | 321.67 | 322 | अकुशल | 6500 | 216.66 | 3325 | 110.83 | 9825 | 327.50 | 328 |
| 7057 | 235.23 | 3450 | 115.00 | 10507 | 350.23 | 350 | अर्द्धकुशल | 7057 | 235.23 | 3625 | 120.83 | 10682 | 356.07 | 356 |
| 8435 | 281.16 | 3450 | 115.00 | 11885 | 396.17 | 396 | कुशल | 8435 | 281.16 | 3625 | 120.83 | 12060 | 402.00 | 402 |
| 9735 | 324.50 | 3450 | 115.00 | 13185 | 439.50 | 440 | उच्चकुशल | 9735 | 324.50 | 3625 | 120.83 | 13360 | 445.33 | 445 |

स्पष्टीकरण -

- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउंडअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। विशेष टीप :- उपर्युक्त अनुसूची-क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं, इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अिखल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के उपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनवेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))


 (श्रीकांत बनोठ)
 श्रमायुक्त,
 मध्य प्रदेश, इंदौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 2/11/अन्वे/पांच/2015/ 28253-502


इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

अधिसूचना

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान, सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतद्वारा अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया। माह जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ:-

| माह / वर्ष | अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87=100) |
|--------------|---|
| जनवरी, 2023 | 1170 |
| फरवरी, 2023 | 1171 |
| मार्च, 2023 | 1175 |
| अप्रैल, 2023 | 1180 |
| मई, 2023 | 1186 |
| जून, 2023 | 1196 |
| औसत सूचकांक | $7068 \div 6 = 1179.67$ (1180) |

तथा इनका औसत 1180 घोषित करता हूँ, जो कि परिशिष्टित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4(बी)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 04.03.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।


(श्रीकान्त बनोठ)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये दिनांक 1.10.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)/1-2014-ए-सोलह, दिनांक 04.03.2014 (म.प्र.राजपत्र असाधारण भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014) के अंतर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्र. 2/11/अन्वे./पांच/2015/28253-502 दिनांक 25/09/2023 के अनुसार कृषि नियोजन में जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1180 रहा है। गत छः माही का औसत 1152 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1152 के उपर $(1180-1152) = 28$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप कृषि नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 6/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये $(6 \times 28) = 168/-$ की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 $(1986-87=100)$ के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $(1180-768) = 412$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये $(412 \times 6) = 2472/-$ प्रतिमाह या $(2472 \div 30)$ रुपये 82.40 प्रतिदिन यानी प्रतिमाह मंहगाई भत्ते सहित देय वेतन $5350 + 2472 =$ रुपये 7822/- तथा $7822 \div 30 =$ रुपये 260.73 (राउण्ड-अप रुपये 261/-) प्रतिदिन (30 दिन के मान से) दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है। (अनुसूची- द के लिए)।


अनुसूची - द
कृषि में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रूपयों में)

| न्यूनतम वेतन | | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता | | कुल वेतन | | रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर | श्रमिकों का वर्ग | न्यूनतम वेतन | | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता | | कुल वेतन | | रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर | |
|------------------------------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|--|
| प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिदिन | | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिदिन | |
| दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक | | | | | | | | दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |
| 5350 | 178.33 | 2304 | 76.80 | 7654 | 255.13 | 255 | अकुशल कृषि श्रमिक | 5350 | 178.33 | 2472 | 82.40 | 7822 | 260.73 | 261 | |

स्पष्टीकरण - परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता :-

- (1) न्यूनतम वेतन की दरें तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, जो लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 (1986-87=100) जनवरी से जून, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत के उपर प्रति 6 माह में हुई औसत वृत्ति के अनुपात में 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से प्रतिबिन्दु प्रतिमाह रूपये 6/- (छः रूपये) के मान से देय होगा। 01 अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जुलाई से दिसंबर तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। इसी प्रकार 01 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जावेगी।
- (2) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणाकों को राउंडअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- (3) मासिक वेतन पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
- (4) अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनवेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))
- (5) इस अधिसूचना के अंतर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान नियत हैं।
- (6) कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विज्ञाप दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।


(श्रीकान्त बनोट)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इंदौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 3/11/अन्वे./पांच/2015/10869-11118

इंदौर, दिनांक 31/03/2023

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर विगत जनवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक के माहों के लिये सूचकांकों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ :-

| माह/ वर्ष 2022 | अखिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100) |
|-------------------|---|
| 1. जनवरी, 2022 | 8223.90 |
| 2. फरवरी | 8217.32 |
| 3. मार्च | 8283.06 |
| 4. अप्रैल | 8394.82 |
| 5. मई | 8480.28 |
| 6. जून | 8493.43 |
| 7. जुलाई | 8539.44 |
| 8. अगस्त | 8559.16 |
| 9. सितम्बर | 8631.48 |
| 10. अक्टूबर | 8710.36 |
| 11. नवम्बर | 8710.36 |
| 12. दिसम्बर, 2022 | 8697.22 |
| औसत | 101940.83 ÷ 12 = 8495.06 औसत (8495) |

तथा उक्तानुसार इनका औसत 8495 घोषित करता हूँ। जो कि किसी सम्बाकू (जिरामे बीडी बगना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एनुअल एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक 08.12.2014 (म.प्र. राजपत्र में भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसम्बर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता बीडी श्रमिकों को दिनांक 01/04/2023 से 31/03/2024 तक देय रहेगा।


(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी)-ए-94-18-ए दिनांक 5.6.97 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 7.6.97) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र. राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014) के अंतर्गत किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध किया गया है। जो दिनांक 1.04.2023 से 31.03.2024 तक देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अ/पांच/15/10869-11118 दिनांक 31-03-23 के अनुसार जनवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 8495 रहा है, इस तरह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर (8495-5299=3196 पाइंट) 3196 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिंदु प्रति हजार बीडी के मान से रुपये 31.96 परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दिनांक 1.04.2023 से 31.03.2024 तक देय होगा।

(अनुसूची - ई)

* किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

| कर्मचारियों का वर्ग | न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर परिवर्तनशील | महंगाई भत्ते की दर | कुल वेतन |
|---------------------------------------|---|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. बीडी रोलर (1000 बीडी बनाने के लिए) | 74.00 | 31.96 | रु 105.96 किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाला वेतन का योग रुपये 515.00 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना के परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रु. 515.00 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा। |

नोट:- एक हजार बीडी वेतन पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील महंगाई भत्ता रुपये 105.96 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बोनस घंटे 9 रुपये 27 पैसे (प्रतिशत 8.33), अर्जित अवकाश के एवज में भगद भुगतान 5 रुपये 30 पैसे (प्रतिशत 5) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 11 रुपये 13 पैसे (प्रतिशत 10) इस प्रकार कुल 131 रुपये 65 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एक नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 22.26 की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी वेतन पर दिनांक 1.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि में श्रमिकों से 11 रुपये 13 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 11 रुपये 13 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि 109 रुपये 40 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

2. रिलाई श्रमिक

अ. बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1. लेबल चिपकाने तथा पुड़ों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य | रुपये 52.39 प्रति 1000 कट्टों पर | रु. 31.96 (02 पैसे प्रति दो हजार) | रुपये 84.35 |
| 2. यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है | रुपये 56.26 प्रति 1000 कट्टों पर | रु. 31.96 (02 पैसे प्रति दो हजार) | रुपये 88.22 |

ब. झिल्ली पर लेबल लगाने संबंधी कार्य

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 1. झिल्ली पर लेबल लगाना | रुपये 45.95 प्रति एक हजार कट्टों पर | रु. 31.96 (02 पैसे प्रति दो हजार) | रुपये 77.91 |
| 2. झिल्ली लगाना | रुपये 33.54 प्रति एक हजार कट्टों पर | रु. 23.97 (03 पैसे प्रति चार हजार) | रुपये 57.51 |
| 3. लेबल लगाना | रुपये 12.84 प्रति एक हजार कट्टों पर | रु. 7.99 (02 पैसे प्रति आठ हजार) | रुपये 20.83 |
| 4. पुड़ा बनाना या चिपकाना | रुपये 13.25 प्रति एक हजार कट्टों पर | रु. 7.99 (02 पैसे प्रति आठ हजार) | रुपये 21.24 |


स. एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--------------|
| 1. आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो | रुपये 192.64 प्रति एक लाख बीड़ी पर | रु. 127.84 (04 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर) | रुपये 320.48 |
| 2. झिल्ली आड़ी तथा खड़ी लगाने का कार्य हो | रुपये 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर | रु. 127.84 (04 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर) | रुपये 341.43 |
| 3. झिल्ली तथा नक्शों झिल्ली लगाने का कार्य हो | रुपये 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर | रु. 127.84 (04 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर) | रुपये 341.43 |

नोट- बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मारिक दर से वेतन जाने वाले कर्मचारियों जैसे बीड़ी छताने तथा कट करने वाले, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाले, भट्टों वाले, रसोईया, ड्रायवर (भासी बालन), कलक वाहन, एकरास्टेंट, मुनीम, कौशियर, गोडाउन्कीपर, स्टीरकीपर टाइपिस्ट, बिलमैन, क्लर्क गुरुय, चौकीदार के काम न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत रागय रागय पर निर्धारित कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणों के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिये उपर्युक्त कर्मचारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा।

- 1- कुशल:- ड्रायवर (चालक) (भारी वाहन), एकाउटेन्ट, मुनीम, केशियर, स्टोरकीपर, हेडक्लर्क, गोडाउन कीपर
- 2- अर्धकुशल:- बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाला, भट्ठीवाला, रसोइया, ड्राईवर (हल्का वाहन) टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क



(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,

मध्यप्रदेश, इंदौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

.Effectiv Wages of Beedi Rollers (for rolling of 1000 Beedies)

Effective from 1/04/2023 to 31/3/2024

V.D.A. revisable annually with effect from 01/04/2023

| | | |
|-----|---|--------|
| 1. | Basic Wage | 74.00 |
| 2. | Variable Dearness Allowance | 31.96 |
| 3. | Leave with Salary (@5% of total wages) | 5.30 |
| 4. | Total Wages | 111.26 |
| 5. | Bonus (@ 8.33% of Total Wages) | 9.27 |
| 6. | P.F. contribution of employer (@ 10% of total wages) | 11.13 |
| 7. | Total wages + Bonus+PF Contribution)= Less Contibution of employer (-) | 131.66 |
| 8. | Total Wages + Bonus | 120.53 |
| 9. | Less PF Contribution of employee (@10% of Total Wages (-) | 11.13 |
| 10. | Net Payable to Beedi Roller | 109.40 |


 (Dr. Virendra Singh Rawat)
 Labour Commissioner
 Madhya Pradesh, Indore

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 3/11/अन्वे/पांच/2015/ 28503-750


इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन म.प्र.शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन को प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से जात कर में, श्रीकांत बनोठ, श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर विगत जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक के माहों के लिये सूचकांकों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता है :-

| | माह / वर्ष | अखिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) |
|---|--------------|---|
| 1 | जनवरी, 2023 | 382.46 |
| 2 | फरवरी, 2023 | 382.18 |
| 3 | मार्च, 2023 | 383.90 |
| 4 | अप्रैल, 2023 | 386.50 |
| 5 | मई, 2023 | 387.94 |
| 6 | जून, 2023 | 392.83 |
| | औसत सूचकांक | 2315 ÷ 6 = 385.97 (386) |

तथा उक्तानुसार इनका औसत 386 घोषित करता है, जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एन्युअल एवरेज कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)1-2013-ए-सोलह, दिनांक 08.12.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय रहेगा।


(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)-ए-94-16-ए, दिनांक 5.6.1997 (म.प्र.राजपत्र दिनांक 7.6.1997) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र.राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर,2014) के अंतर्गत किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। जो दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अन्वे/पांच/2015/ **28503-750** दिनांक **25/09/2023** के अनुसार जनवरी-2023 से जून-2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 386 रहा है। गत छः माही का औसत 379 रहा था। अतः इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उपर $(386 - 379) = 07$ पाईन्ट) 07 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप बीड़ी नियोजन में दैनिक एवं मासिक वेतन दरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये $25 \times 07 = 175$ रुपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 239 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $386 - 239 = 147$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि (25×147) रुपये 3675/- प्रतिमाह अथवा $(3675 \div 26) =$ रुपये 175/- प्रतिदिन । प्रतिमाह 8750 रुपये या $8750 \div 26 = 336$ रुपये 54 पैसे प्रतिदिन दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय होगा।

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक निम्नानुसार देय है :-

(आंकड़े रुपये में)


| क्र. | कर्मचारियों का वर्ग | मूल वेतन | | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता | | कुल वेतन | | रुपये राउंड अप में दैनिक दर |
|------|--|----------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------|
| | | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | |
| 1 | तम्बाकू तथा तेन्दूपत्ता देने या बीड़ियां प्राप्त करने एवं उसकी छंटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने के लिए, भट्टी वाला, रसोइया, वाहन ड्रायवर(चालक) इसके वाहन, टायपिस्ट, क्लर्क बिलमेन | 5075 | 195.19 | 3675 | 141.35 | 8750 | 336.54 | 337 |
| 2 | ट्रक में माल चढाने या उतारने या बीड़ियों के पूड़ों को भरने के कार्य में लगे व्यक्ति, भृत्य, चौकीदार | 4945 | 190.19 | 3675 | 141.35 | 8620 | 331.54 | 332 |
| 3 | ड्रायव्हर (चालक) भारी वाहन, एकाउन्टेन्ट, मुनीम, केशियन, स्टोर कीपर, गोडाउनकीपर, हेडक्लर्क। | 5225 | 200.96 | 3675 | 141.35 | 8900 | 342.31 | 342 |

स्पष्टीकरण

- 1- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/ नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर,2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- 2- इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 12(1-ए)
- 3- न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है।
- 4- परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची-ई के स्तम्भ तीन में लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5635(2001=100) पर आधारित है। 5635 सूचकांक

के उपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 01 जनवरी से की जावेगी और स्तम्भ तीन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मानी जावेगी। एक जनवरी से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जावेगी।

- 5- निर्धारित मासिक वेतन कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
- 6- जहां नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीडी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तम्बाकू, तेन्दूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता है, तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीडी के लिये देय वेतन तथा विशेष मंहगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारण्टेड वेज कहा जायेगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- 7- गारण्टी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीडी का जो वेतन अर्जित करेगा वह भी सम्मिलित होगा।
- 8- यदि कर्मचारी किसी अन्य कारण या इच्छा से किसी भी दिन गारण्टेड वेज की रशि से कम वेतन अर्जित करता है, तो कर्मचारी गारण्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
- 9- जो कर्मचारी दिये गये कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीडियां सप्ताह में बनाने के लिये पर्याप्त हो, का पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है, तो वह गारण्टी वेजन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
- 10- आग, विपत्ति, महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर हैं, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी गारण्टी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।


 (श्रीकांत बनोठ)
 श्रमायुक्त,
 मध्य प्रदेश, इन्दौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 4/11/अन्वे/पांच/2015/ 28751-999

इन्दौर, दिनांक 25/09/2023


अधिसूचना

अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर विगत माह जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक के माहों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता हूँ:-

| माह / वर्ष | अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) |
|--------------|---|
| जनवरी, 2023 | 382.46 |
| फरवरी, 2023 | 382.18 |
| मार्च, 2023 | 383.90 |
| अप्रैल, 2023 | 386.50 |
| मई, 2023 | 387.94 |
| जून, 2023 | 392.83 |
| औसत सूचकांक | 2315 ÷ 6 = 385.97 (386) |

तथा विगत छःमाही का औसत 386 घोषित करता हूँ, जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये औसत निर्याह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4(सी)-1-2013-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014 के द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है।


(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील-मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

अगरबत्ती उद्योग

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी) 1-2013-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग-4(ग) दिनांक 10.10.2014 (मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) के अंतर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 4/11/अन्वे/पांच/2015 / ~~28751-999~~ दिनांक ~~25/09/2023~~ के अनुसार जनवरी-2023 से जून-2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 386 रहा है। गत छः माही का औसत 379 रहा था। अतः इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उपर (386-379) = 07 पाईन्ट) 07 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप अगरबत्ती नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये 25X07 = 175 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 239 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 386-241=145 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये 25X145=3625 प्रतिमाह या 3625÷26=139 रुपये 42 पैसे प्रतिदिन दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है तथा इसी तरह प्रति एक हजार अगरबत्ती रोल करने पर (100 पैसे प्रति 4000) के मान से अर्थात् 25 पैसे प्रति एक हजार बिन्दु के मान से कुल बिन्दु 175 पर (145÷4=36.25) रुपये 36.25 पैसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय होगा।

अनुसूची - एफ

अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें

| कर्मचारियों का वर्ग | न्यूनतम मजदूरी | न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते की दरें | कुल न्यूनतम वेतन |
|--|----------------|--|------------------|
| (अ) अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण | 21.40. | रु. 36.25 100 पैसा प्रति 4000 (25 पैसा प्रति बिन्दु) | रुपये 57.65 |
| (ब) सुगंधित (सैंटेड) | 22.00 | रु. 36.25 100 पैसा प्रति 4000 (25 पैसा प्रति बिन्दु) | रुपये 58.25 |

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

(आ) निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पकेट में भरकर पकेट के दोनो ओर चिट लगाकर पकेट बन्द करना।

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

| | | | |
|---------------------|------------------------|---|--------------|
| 1. 10 ग्राम वजन के | प्रति सैंकडा रु. 20.48 | रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु) | रुपये 49.48 |
| 2. 20 ग्राम वजन के | प्रति सैंकडा रु. 21.34 | रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु) | रुपये 50.34 |
| 3. 30 ग्राम वजन के | प्रति सैंकडा रु. 21.34 | रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु) | रुपये 50.34 |
| 4. 40 ग्राम वजन के | प्रति सैंकडा रु. 27.23 | रु. 36.25 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु) | रुपये 63.48 |
| 5. 70 ग्राम वजन के | प्रति सैंकडा रु. 36.58 | रु. 47.85 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु) | रुपये 84.43 |
| 6. 80 ग्राम वजन के | प्रति सैंकडा रु. 41.54 | रु. 58.00 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु) | रुपये 99.54 |
| 7. 100 ग्राम वजन के | प्रति सैंकडा रु. 43.12 | रु. 58.00 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु) | रुपये 101.12 |
| 8. 200 ग्राम वजन के | प्रति सैंकडा रु. 52.76 | रु. 72.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु) | रुपये 125.26 |

सिलोफेन या जिलेटिन के

| | | | |
|--------------------|------------------------|---|-------------|
| 1. 10 ग्राम वजन के | प्रति सैंकडा रु. 21.34 | रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु) | रुपये 50.34 |
| 2. 20 ग्राम वजन के | प्रति सैंकडा रु. 26.60 | रु. 36.25 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु) | रुपये 62.85 |
| 3. 30 ग्राम वजन के | प्रति सैंकडा रु. 33.00 | रु. 47.85 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु) | रुपये 80.85 |

| | | | |
|---------------------|------------------------|---|--------------|
| 4. 40 ग्राम वजन के | प्रति सैंकडा रु. 34.48 | रु. 47.85 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु) | रूपये 82.33 |
| 5. 70 ग्राम वजन के | प्रति सैंकडा रु. 37.03 | रु. 47.85 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु) | रूपये 84.88 |
| 6. 80 ग्राम वजन के | प्रति सैंकडा रु. 43.12 | रु. 58.00 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु) | रूपये 101.12 |
| 7. 100 ग्राम वजन के | प्रति सैंकडा रु. 51.00 | रु. 72.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु) | रूपये 123.50 |
| 8. 200 ग्राम वजन के | प्रति सैंकडा रु. 54.47 | रु. 72.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु) | रूपये 126.97 |

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पेक करना निम्न संख्या में अगरबतियों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलियों में भरना, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन का ब्राउन पेपर लगाकर बन्द करना।

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

| | | | |
|------------------------|------------------------|---|-------------|
| 1. 10 अगरबत्ती के लिए | प्रति सैंकडा रु. 16.98 | रु. 24.65 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु) | रूपये 41.63 |
| 2. 12 अगरबत्ती के लिए | प्रति सैंकडा रु. 17.80 | रु. 24.65 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु) | रूपये 42.45 |
| 3. 23 अगरबत्ती के लिए | प्रति सैंकडा रु. 21.30 | रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु) | रूपये 50.30 |
| 4. 50 अगरबत्ती के लिए | प्रति सैंकडा रु. 22.19 | रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु) | रूपये 51.19 |
| 5. 100 अगरबत्ती के लिए | प्रति सैंकडा रु. 26.60 | रु. 36.25 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु) | रूपये 62.85 |
| 6. 200 अगरबत्ती के लिए | प्रति सैंकडा रु. 28.70 | रु. 36.25 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु) | रूपये 64.95 |

(ई) सादे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बन्द करना।

| | | | |
|--|------------------------|--|-------------|
| 1. 5 अगरबत्ती के लिए | प्रति सैंकडा रु. 3.85 | रु. 5.80 100 पैसा प्रति 2500 (04 पैसा प्रति बिन्दु) | रुपये 9.65 |
| 2. 10 अगरबत्ती के लिए | प्रति सैंकडा रु. 4.44 | रु. 7.25 100 पैसा प्रति 2200 (05 पैसा प्रति बिन्दु) | रुपये 11.69 |
| 3. पुंगली बनाने के कागज (रोलिंग पेपर्स) | प्रति सैंकडा रु. 36.34 | रु. 10.15 100 पैसा प्रति 1500 (07 पैसा प्रति बिन्दु) | रुपये 46.49 |

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर) न्यूनतम मजदूरी
दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक

(आंकड़े रुपये में)

| क्र. | कर्मचारियों का वर्ग | मूल वेतन | | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता | | कुल वेतन | | राउण्डअप रुपये में दैनिक दर |
|------|--|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------|
| | | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिदिन |
| 1 | पुडा बनाने वाला, मसाला भरने वाला, भृत्य चौकीदार. | 5939 | 228.42 | 3625 | 139.42 | 9564 | 367.85 | 368 |
| 2 | टाइपिस्ट, क्लर्क, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला. | 7057 | 271.42 | 3625 | 139.42 | 10682 | 410.85 | 411 |
| 3 | एकाउन्टेंट, केशियर, गोडाउन कीपर, मिस्त्री, ड्रायवर, पेटी बनाने वाला. | 8435 | 324.42 | 3625 | 139.42 | 12060 | 463.85 | 464 |

नोट — अगरवत्ती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी जैसे, पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्रायवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला, एकाउन्टेंट, केशियर, गोडाउन कीपर, टाइपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन कुशल, अर्द्धकुशल, एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी।

स्पष्टीकरण -


1. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7-2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

2. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (वी.डी.ए.) जनवरी, 2014 से जून, 2014 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात सूचकांक कहा जावेगा) 241 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रतिबिन्दु सम्मुख अंकित किये गये अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये रुपये 25.00 प्रति बिन्दु प्रति माह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छःमाही जुलाई से दिसंबर

तथा जनवरी से जून, जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार संगणित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर घोषित किया जावेगा।

3. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विज्ञापन दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।


(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 6/11/अन्वे./पांच/2015/ 29000-250

इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

अधिसूचना

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 01.10.2023 से न्यूनतम वेतन की दरें, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।

-0-

म.प्र.राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(सी)1-2013-अ-16 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई थी, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी से जून, 2014) 2001= 100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है, जो दिनांक 10 जून, 2016 से लागू है।

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55 तथा 57 से 66, 68 एवं 70 से 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते को विनियोजित करते हुए प्रभावशील की गई है। माह जनवरी से जून, 2023 की छः माही का औसत सूचकांक 386 रहा है, अतः इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत (379) के उपर (386-379)= 07 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। फलस्वरूप दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक जारी दरे निम्नानुसार रहेगी:-

अनुसूची - अ

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।
(26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

| श्रमिकों का वर्ग | न्यूनतम वेतन | | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता | | कुल वेतन | | रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये |
|------------------|--------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|--|
| | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | |
| अकुशल | 6500 | 250.00 | 3325 | 127.88 | 9825 | 377.88 | 378 |
| अर्द्धकुशल | 7057 | 271.42 | 3625 | 139.42 | 10682 | 410.85 | 411 |
| कुशल | 8435 | 324.42 | 3625 | 139.42 | 12060 | 463.85 | 464 |
| उच्चकुशल | 9735 | 374.42 | 3625 | 139.42 | 13360 | 513.85 | 514 |

अनुसूची - ब

किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।
(26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

| श्रमिकों का वर्ग | न्यूनतम वेतन | | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता | | कुल वेतन | | रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये |
|----------------------------|--------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|--|
| | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | |
| मजदूर | 6500 | 250.00 | 3325 | 127.88 | 9825 | 377.88 | 378 |
| पेकर, पट्टी पेकर, सीपर | 6705 | 257.85 | 3625 | 139.42 | 13330 | 397.31 | 397 |
| मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि | 8435 | 324.42 | 3625 | 139.42 | 12060 | 463.85 | 464 |
| रोलर्स, मिस्ट्री पाईन्टर्स | 9522 | 366.23 | 3625 | 139.42 | 13147 | 505.65 | 506 |
| उच्चकुशल | 9735 | 374.42 | 3625 | 139.42 | 13360 | 513.85 | 514 |
| कटर्स | 10155 | 390.57 | 3625 | 139.42 | 13780 | 530.00 | 530 |

अनुसूची - स
किसी मुद्रणालय में नियोजन
मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।
(26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

| कर्मचारियों का वर्ग | न्यूनतम वेतन | | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता | | कुल वेतन | | रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये |
|---------------------|--------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|--|
| | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | |
| लिपिकीय वर्ग | | | | | | | प्रतिदिन रुपये |
| अकुशल | 6500 | 250.00 | 3325 | 127.88 | 9825 | 377.88 | 378 |
| श्रेणी एक | 8435 | 324.42 | 3625 | 139.42 | 12060 | 463.85 | 464 |
| श्रेणी दो | 7057 | 271.42 | 3625 | 139.42 | 10682 | 410.85 | 411 |
| उच्च कुशल | 9735 | 374.42 | 3625 | 139.42 | 13360 | 513.85 | 514 |
| कुशल श्रेणी | | | | | | | |
| श्रेणी एक | 9685 | 372.50 | 3625 | 139.42 | 13310 | 511.92 | 512 |
| श्रेणी दो | 9378 | 360.69 | 3625 | 139.42 | 13003 | 500.12 | 500 |
| श्रेणी तीन | 8435 | 324.42 | 3625 | 139.42 | 12060 | 463.85 | 464 |
| अर्द्ध कुशल श्रेणी | | | | | | | |
| श्रेणी एक | 8435 | 324.42 | 3625 | 139.42 | 12060 | 463.85 | 464 |
| श्रेणी दो | 7057 | 271.42 | 3625 | 139.42 | 10682 | 410.85 | 411 |

अनुसूची - क
मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के
मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।
(30 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

| श्रमिकों का वर्ग | न्यूनतम वेतन | | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता | | कुल वेतन | | रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये |
|------------------|--------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|--|
| | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | |
| अकुशल | 6500 | 216.66 | 3325 | 110.83 | 9825 | 327.50 | 328 |
| अर्द्धकुशल | 7057 | 235.23 | 3625 | 120.83 | 10682 | 356.07 | 356 |
| कुशल | 8435 | 281.16 | 3625 | 120.83 | 12060 | 402.00 | 402 |
| उच्चकुशल | 9735 | 324.50 | 3625 | 120.83 | 13360 | 445.33 | 445 |

अनुसूची - द (कृषि नियोजन)

जनवरी से जून, 2023 छः माही का कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1180 है, इसके पूर्व की छः माही का औसत 1152 था, जिसके कारण 28 बिन्दुओं की वृद्धि होने से कृषि नियोजन में मंहगाई भत्ता सहित निम्नलिखित न्यूनतम वेतन देय होगा :- (30 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

| श्रमिकों का वर्ग | न्यूनतम वेतन | | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता | | कुल वेतन | | रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये |
|------------------|--------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|--|
| | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | |
| अकुशल | 5350 | 178.33 | 2472 | 82.40 | 7822 | 260.73 | 261 |

बीड़ी नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के औसत के उपर 3196 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरे दिनांक 01.04.2023 से 31.3.2024 तक निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची - ई (बीड़ी नियोजन)

| कर्मचारियों का वर्ग | न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रुपये | कुल वेतन रुपये |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए) | 74.00 | 31.96 | 105.96 |

नोट - एक हजार बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते रुपये 105.96 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 9 रुपये 27 पैसे (8.33%), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 रुपये 30 पैसे (5%) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 11 रुपये 13 पैसे (10%) इस प्रकार कुल 131 रुपये 65 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 22.26 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि में श्रमिकों से 11 रुपये 13 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 11 रुपये 13 पैसे उपरांत शुद्ध राशि 109 रुपये 40 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन


अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के औसत के उपर गत छः माहों में औसत सूचकांक 379 के उपर औसत 07 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरे निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची - एफ (अगरबत्ती नियोजन)

| कर्मचारियों का वर्ग | न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रुपये | कुल वेतन रुपये |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| (अ) अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण दर | 21.40 | रु. 36.25 | रुपये 57.65 |
| (ब) सुगंधित (सैंडेड) | 22.00 | रु. 36.25 | रुपये 58.25 |

स्पष्टीकरण - 1- म.प्र.न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20.6.2006 में हुई चर्चा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणाकों को राउण्डअप करके ही दैनिक/मासिक मजदूरी निर्धारित की जाए। तदनुसंध प्रतिदिन रुपये में राउण्डअप कर दैनिक दरें निर्धारित की जाए।

- वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 9-79-7/2006/नियम/चार, दि. 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे हों तो उन्हें अगरे उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- राज्य शासन द्वारा दिनांक 15 मई, 2015 को जारी एवं म.प्र.राजपत्र दिनांक 22 मई, 2015 में प्रकाशित अकुशल श्रमिकों हेतु मजदूरी की दर दिनांक 01.06.2015 से प्रभावशील की गई है।


(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

प्रेस विज्ञप्ति

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिए दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक प्रभावशील वेतन है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत श्रमिकों को देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर में दिनांक 01.10.2023 से रुपये 175.00 प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। अतः न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 67 अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दरें घोषित की जाती हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) पर आधारित कर संबद्ध की गई है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक की छःमाही में कुल सूचकांक का औसत 386 रहा है। इसके कारण गत छःमाही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उपर 07 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में रुपये 25.00 प्रतिबिन्दु की दर से $25 \times 7 = 175.00$ रुपये (एक सो पचहत्तर रुपये) प्रतिमाह की वृद्धि श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। इस प्रकार दिनांक 01.10.2023 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता कुल रुपये 3625/- प्रतिमाह अथवा रुपये 139.42 प्रतिदिन देय है।

अतः श्रमायुक्त द्वारा घोषित मंहगाई भत्ते की दरों के अनुसार दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से आगामी 6 माहों के लिए 67 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 9825/- या प्रतिदिन रुपये 377.88, अर्द्धकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 10682/- या प्रतिदिन रुपये 410.85, कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 12060/- या प्रतिदिन रुपये 463.85 तथा उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 13360/- या प्रतिदिन रुपये 514.00 पैसे देय होगा।

कृषि नियोजन में गत छःमाही में मान्य किये गये अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उपर (1180-1152) = 28 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके आधार पर वर्तमान मंहगाई भत्ता में प्रतिमाह रुपये 168/- की वृद्धि श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। जिसके आधार पर अकुशल कृषि श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 7822/- या प्रतिदिन रुपये 260.73 पैसे की मजदूरी मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक के लिए देय होगा।

एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्त रुपये 105.96 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बोनस पेटे रुपये 9.27 पैसे (8%), अर्जित अवकाश के एवज में नकद भुगतान रुपये 05.30 पैसे (5%), एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान रुपये 11.13 पैसे (10%), इस प्रकार कुल रुपये 131.65 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 22.26 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 की अवधि में श्रमिकों से रुपये 11.13 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि रुपये 11.13 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि रुपये 109.40 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन में गत छःमाही का औसत 386 रहा है। जो इसके पूर्व की छःमाही के औसत 379 से ज्यादा है, इसके कारण गत छःमाही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उपर (386-241) 145 औसत बिन्दुओं एवं अगरबत्ती नियोजन में भी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (386-379) औसत 07 बिन्दुओं की वृद्धि होने के कारण दिनांक 01.10.2023 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मिलाकर साधारण अगरबत्ती के लिए रुपये 57.65 पैसे तथा सुगंधित अगरबत्ती के लिए रुपये 58.25 पैसे प्रतिहजार अगरबत्ती की मजदूरी देय होगी।

स्पष्टीकरण -


- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20-सितम्बर 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्व/पांच/2015/ 29251-53
प्रतिलिपि -

इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

- 1- संचालक, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 2- अपर संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, इन्दौर की ओर प्रसारण हेतु प्रेषित।


(श्रीकांत बनोठ)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर


क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2015/ 29254-500
प्रति,

इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

- 1- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-514, दिनांक 30.6.1992 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना, अधीक्षण, भोपाल।
- 4- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
- 5- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जन संसाधन विभाग, भोपाल ।
- 6- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
- 7- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, कृषक कल्याण विभाग, भोपाल।
- 8- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल (राहत शाखा)
- 9- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, भोपाल ।
- 10- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग, भोपाल।
- 11- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल ।
- 12- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल ।
- 13- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल।
- 14- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
- 15- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल।
- 16- सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, म.प्र. इन्दौर।
- 17- महालेखाकार, प्रथम एवं द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 18- उप नियंत्रक, शासकीय प्रादेशिक मुद्रणालय, ग्वालियर, म.प्र. की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए अनुरोध है कि इस अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3(1) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 19- आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
- 20- राहत आयुक्त, वल्लभ भवन, भोपाल।
- 21- उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 22- केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, इन्दौर की ओर प्रसारण हेतु प्रेषित ।
- 23- समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश।
- 24- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- 25- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
- 26- संचालक, कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
- 27- प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- 28- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- 29- प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
- 30- प्रमुख वन संरक्षक, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
- 31- अपर श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर।

- 32- समस्त उप श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश।
- 33- संचालक / समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश।
- 34- समस्त सहायक श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश।
- 35- समस्त श्रम पदाधिकारी, मध्य प्रदेश।
- 36- प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखाएं, श्रमायुक्त कार्यालय, म.प्र. इन्दौर।
- 37- सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 38- सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 39- सचिव, म.प्र. स्लेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर।
- 40- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 41- लेबर ब्यूरो, शिमला (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत समस्त नियोजनों में न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील कराने के लिए जिलों में पदस्थ श्रम निरीक्षकों को संबंधित प्रभारी अधिकारी आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।


(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2015/ 23501-750


इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

प्रति,

- 1- कलेक्टर, जिला इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बडवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यौपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।
- 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बडवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यौपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।
- 3- उप श्रम आयुक्त, इन्दौर/ भोपाल।
- 4- सहायक श्रम आयुक्त, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, भोपाल, होशंगाबाद(नर्मदापुरम), सागर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, शहडोल।
- 5- श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी / श्रम निरीक्षक, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बडवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यौपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया मध्य प्रदेश।
- 6- संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, म.प्र. इन्दौर।
- 7- संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, भोपाल।
- 8- उप संचालक/ सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, हायजिन लेब इंदौर, खण्डवा, देवास, मंदसौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, बीना(सागर) ।
- 9- सचिव, म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 10- सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 11- सचिव, म.प्र. स्लेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर।
- 12- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 13- लेबर ब्यूरो, शिमला (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिये 01 अक्टूबर 2023 से लागू परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन की दरें।

उपरोक्त विषयांतर्गत श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत समस्त नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 01.10.2023 से पुनरीक्षित/ प्रभावशील की गई हैं। उक्त दरें पुस्तक के रूप में श्रम विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिये श्रम विभाग की वेबसाईट www.labour.mponline.gov.in पर लॉग ऑन करने का कष्ट करें।


(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर